कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल, 462004

क्रमांक / 1995 / 897 / आउशि / शाखा–8 / 07 भोपाल, दिनांक 11 / 12 / 2007

प्रति,

संबधित समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः–गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत 2007–08 में चयनित छात्राओं हेतु बजट आवंटन वर्ष 2007–2008
संदर्भः–शासन का पत्र क्रमांक एफ–19–7 / 07 / 2–अड़तीस दिनांक 30.08.07

***

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में गांव की बेटी योजना 2007–08 में चयनित 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में संलग्न कम्प्यूटर शीट में दर्शाये अनुसार राशि का बजट आवंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त राशि का आहरण एवं व्यय कम्प्यूटर शीट में दर्शाये मद में उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट में विकलनीय होगा । प्राचार्य (आहरण–संवितरण अधिकारी) सुनिश्चित करें कि दिनांक 10 मार्च 2008 के पूर्व पात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ अनिवार्य रूप से मिल जाए।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित न हो।

निम्नलिखित तथ्यों, का प्रमाण–पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए–

1. शासन के संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नियम मापदण्डो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेशित हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
3. छात्रा नें उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो एवं अध्ययनरत् हो।
4. यदि छात्रा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय /अन्य संस्था में प्रवेशित है और वह पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन संबंधित अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व होगा कि संबधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं।
5. अन्य संस्थाओं में वर्ष 2007–08 की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

6. पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

7. किसी भी स्थिति में प्राप्त बजट में से प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 500.00 प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 5000.00 (रू. पॉच हजार) से अधिक नहीं होगी। प्राचार्य सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से वंचित न रहें।

8. कोषलय से आवश्यक राशि ही आहरित करे। राशि वितरित करने के उपरान्त विभाग द्वारा आंवटित शेष राशि बीसीओ कोड–3802 में 30 मार्च, 2008 के पूर्व कोषालय में समर्पित करे व आई डी क्रमांक व दिनांक से अवगत कराये। किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि अन्य मद में जमा न करे, यदि किसी कारणवश अतिरिक्त राशि आहरित कर ली जाती है तो चालान के माध्यम से शासकीय कोष में वित्तीय वर्ष 2007–2008 में ही जमा करें ।

9. पात्र छात्रा को वितरित राशि का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व गॉव की बेटी योजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक 07.अप्रेल, 2008 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

10. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।

11. गाँव की बेटी योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं की संपूर्ण सूची ग्रामवार विभाग की वेब साइट http://www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है।

12. जारी किया गया बजट दिनांक **11-12-2007** को आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए तत्काल योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

संलग्नः– अ. बजट आवंटन की कम्प्यूटर शीट।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक/1996/897/आउशि/योजना/शा.8/07 भोपाल, दिनांक 11/12/2007

प्रतिलिपि–

1 निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3 अतिरिक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. – की ओर सूचनार्थ।
4 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

घोषणा पत्र

प्राचार्य,
महाविद्यालय का नाम ....
स्थान .... (म.प्र.)

1	छात्रा का नाम	
2	जाति	1. अनु.जाति ☐ 3. अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ 2. अनु.ज.जाति ☐ 4. अनाराक्षित ☐
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	अ. स्थायी पता (गावं का पता)	
	ब. गांव का नाम	
	स. ब्लाक	
	द. जिला	

8 शैक्षणिक परिचय

क्र.	परीक्षा	प्राप्तांक	पूर्णांक	गांव की बेटी योजनान्तर्गत प्राप्त की गई राशि का विवरण	
				राशि	प्राप्ति दिनांक
1	12 वीं				
2	प्रथम वर्ष				
3	द्वितीय वर्ष				
4	तृतीय वर्ष				

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा)

प्राचार्य का सत्यापन